भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1765
जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।
19 अग्रहायण, 1947 (शक)

भारतीय डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) बोर्ड

1765. श्रीमती बाग मिताली:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) बोर्ड को प्राप्त शिकायतों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय डीपीडीपी बोर्ड में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सदस्यों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) भारतीय डीपीडीपी बोर्ड की स्थापना के पश्चात् से वर्ष-वार एवं राशि-वार कितनी संस्थाओं को दंडित किया गया है; और

(घ) वर्ष 2023 से भारतीय डीपीडीपी बोर्ड को आवंटित बजट का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("अधिनियम") में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरह से प्रावधान किया गया है, जो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकारों और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है।

यह अधिनियम व्यक्तियों को अपने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने, उसे सही करने और मिटाने का अधिकार देता है। यह नागरिकों को डेटा न्यासी द्वारा संसाधित अपने व्यक्तिगत डेटा से संबंधित मामलों का समाधान करने हेतु सशक्त बनाकर शिकायत निवारण के अधिकार का भी प्रावधान करता है।

अधिनियम और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 ("नियम") को 13 नवंबर, 2025 को अधिसूचित किया गया है। जैसा कि अधिसूचित किया गया है, डीपीबी में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल होंगे।

अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत शिकायत को डीपीबी द्वारा जांच हेतु लिया जा सकता है। अधिनियम का उल्लंघन साबित होने पर, डीपीबी को संबंधित डेटा फिड्यूशरी पर जुर्माना लगाने का अधिकार है।

*****